



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आ. सं.-04/प्रा.आ.(मकान मरम्मति/पुनर्निर्माण)-06/2024-12(370)/आ.प्र.0, राँची दिनांक-24/06/2025

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.सं.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, पाकुड़, सरायकेला-खरसावाँ, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह एवं
गुमला।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदा - बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित एवं सुखाड़ छोड़कर) से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मति एवं पुनर्निर्माण के लिए अनुग्रह अनुदान भुगतान के निमित्त राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल राशि 47,46,200/- (सैंतालीस लाख छियालीस हजार दो सौ) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग - विभागीय स्वीकृत्यादेश सं.-81(स्वी.) दिनांक-24.06.2025

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-113-घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये सहायता उपशीर्ष-02- बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड-39-S-2245-02-113-02-00-05-43	47,46,200 /- (सैंतालीस लाख छियालीस हजार दो सौ) रुपये मात्र

2. यह आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-21.05.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय-03(IV) के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त निर्णय निम्नवत् है :-

“प्राकृतिक आपदा - बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित एवं सुखाड़ छोड़कर) से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मति एवं पुनर्निर्माण के लिए अनुग्रह अनुदान भुगतान के निमित्त जिलों को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 4,50,00,000/- (चार करोड़ पचास लाख) रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-113-घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उप शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (विपत्र कोड-39-S-2245-02-113-02-00-05-43) में 50,00,00,000/- (पचास करोड़) रुपये की राशि उपबंधित है।”
जिलावार आवंटित राशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	पूर्वी सिंहभूम	6,99,000
2	जामताड़ा	55,200
3	पाकुड़	1,00,000
4	सरायकेला-खरसावाँ	1,00,000
5	देवघर	10,00,000
6	गढ़वा	1,72,500
7	गिरिडीह	11,19,500
8	गुमला	15,00,000
कुल योग		47,46,200

- उक्त स्वीकृत राशि से भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदा — बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित) से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक—33-03/2020-NDM-I दिनांक—11.07.2023 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान की जायेगी।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक—33-03/2021-NDM-I दिनांक—12.01.2022 में अंकित प्राकृतिक आपदा—Cyclone, Earthquake, Fire, Flood, Tsunami, Hailstorm, Landslide, Avalanche, Cloud Burst, Pest Attack and Frost & Cold Wave से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु प्रभावितों के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुकवार आवंटित की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।
- संबंधित उपायुक्त भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कोई A.C. bill सृजित नहीं किया जायेगा।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद-मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।
- अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित/लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- आवंटित राशि के व्यय हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।
- किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरणी विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षांत के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।



11. (i) उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राशि की निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।
(ii) व्यय के पश्चात् विभाग को विहित पत्र GFR19-A में उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।
(iii) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
(iv) महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
13. आवंटित राशि के व्यय के क्रम में —
(i) वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
(ii) Treasury Code, झारखण्ड वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधित निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. (i) स्रोत पर टैक्स कटौती में वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
(ii) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
15. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
24/6/25
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-04/प्रा.आ.(मकान मरम्मत/पुनर्निर्माण)-06/2024-12(आ)/आ०प्र०, राँची दिनांक-24/06/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची एवं संबंधित प्रशाखा-08, आपदा प्रबंधन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/25
सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए वजेट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 06/2024/12(AA)

दिनांक - 24-Jun-2025

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37525	JSRDAD001 SRI. CHANDRAJEET SINGH ESTT.DY.COLLEAST SINGHBHUM 43 - अन्वेषण, मरम्मत एवं समीक्षाकरण (सामग्री)	699,000.00 रुपये छः लाख निम्नान्वे हजार
2	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37526	JMTDAD006 PUNAM KACHAP. A.C. JAMTARA 43 - अन्वेषण, मरम्मत एवं समीक्षाकरण (सामग्री)	55,200.00 रुपये पचपन हजार दो सौ
3	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37527	PKRDADA07 MRITYUNJAY KUMAR BARANWAL DEPUTY COMMISSIONER PAKUR 43 - अन्वेषण, मरम्मत एवं समीक्षाकरण (सामग्री)	100,000.00 रुपये एक लाख

योग: रुपये आठ लाख चौपन हजार दो सौ
क्रमिक योग:

(RAJESH KUMAR SHARMA)
SECRETARY

854,200.00

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37529	SKLDAD013 SURENDRA ORAON DY. COLLECTOR NAZARAT SKL 43 - अनुक्षण, मरम्मत एवं मजदूरीकरण (सामग्री)	100,000.00 रुपये एक लाख
5	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37530	DGRLDRA39 HEERA KUMAR ADDITIONAL COLLECTOR, DEOGHAR 43 - अनुक्षण, मरम्मत एवं मजदूरीकरण (सामग्री)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
6	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37531	GRHLDR003 RAJ MAHESHWERAM A.C.GARHWA 43 - अनुक्षण, मरम्मत एवं मजदूरीकरण (सामग्री)	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पाँच सौ

योग: रुपये इक्कीस लाख छत्तीस हजार सात सौ

क्रमिक योग:


(RAJESH KUMAR SHARMA)
SECRETARY

1,272,500.00

2,126,700.00

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण सहन 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37533	GRDDAD026 RAMNIWAS YADAV DY. COMMISSIONER GIRIDIH 43 - अनुद्वेग, मरम्मत एवं मसज्जीकरण (सामग्री)	1,119,500.00 रुपये स्यारह लाख छन्नीस हजार पाँच सौ
8	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण सहन 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	37535	GMLDAD009 LALAN KUMAR RAJAK N. D. C. GUMLA 43 - अनुद्वेग, मरम्मत एवं मसज्जीकरण (सामग्री)	1,500,000.00 रुपये पंद्रह लाख

योग:

रुपये सैतालीस लाख छयालीस हजार दो सौ

2,619,500.00

क्रमिक योग:

(RAJESH KUMAR SHARMA)

4,746,200.00

SECRETARY